# न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 26/2021

**बउनवान**

छोटूलाल पुत्र कजोड़ आयु 25 वर्ष जाति कहार निवासी सोरसन, तहसील अंता, जिला बारां (राज0) (अपीलांट)

**बनाम**

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अंता जिला बारां (राज0) (रेस्पोंडेंट)

**अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956**

उपस्थिति :–1. श्री बृजकिशोर शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

**निर्णय दिनांक– 21.04.2023**

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अंता के आदेश दिनांक 07.07.2021 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम सोरसन तहसील–अंता की आराजी खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.48 है., किस्म–गैर मुम. बरडा पर अतिक्रमी मानकर 240/– रूपये शास्ति एंव 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नही है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। उक्त भूमि बरडा है एवं पथरीली है इसमें कोई खेती नहीं होती अपीलांट अपने परिवार के साथ करीब 15–20 वर्षो से जानवरों सहित वहां निवास कर रहे है तथा कभी–कभी जीवन–यापन के लिए खरबूजा व ककडी की फसल पैदा करते है अपीलांट भूमिहीन है उक्त कार्यवाही के पूर्व अपीलांट ने उक्त भूमि से अपना कब्जा छोड़ दिया था वर्तमान मे अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलांट भूमिहीन होने के कारण उक्त भूमि के आवंटन का हकदार भी है। न्यायहित में उक्त भूमि को उसे आवंटित किये जाने की अनुशंषा किये जाने की भी प्रार्थना है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नहीं करते हुए आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.07.2021 निरस्त किया जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त भूमि पथरीली होने के कारण खेती नहीं होती है। अपीलांट अपने परिवार के साथ करीब 15–20 वर्षो से जानवरों सहित वहां निवास कर रहे है अपीलांट भूमिहीन है उक्त कार्यवाही से पूर्व अपीलांट ने उक्त भूमि से अपना कब्जा छोड़ दिया था वर्तमान मे अपीलांट का उक्त भूमि पर कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में नहीं आता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.07.2021 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा अपील मेमो में ही उक्त विवादित भूमि पर 15–20 वर्षो से परिवार व जानवरों सहित रहकर खरबूजा व ककडी की फसल पैदा करने की बात लिखी गई है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 158/21 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अपीलांट को सजायाब किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है, एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में स्वीकार किया गया है कि उसके द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1212 रकबा 0.48 है., किस्म–गै.मु.बरडा, ग्राम सोरसन पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 158/21 में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2021 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अंता द्वारा प्रकरण संख्या 09/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज [illegible] 21.04.[illegible] इजलास लिखाया जाकर सुनाया

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.07.28 10:49:10 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर बारां (राज०)